

जान आवश्यक होगा। बीच निर्देशन समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु बीच का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो बीच की प्रतिनयन एवं लागू होगी।

- ✓ संस्था को [2020 प्रारम्भिक शिक्षा समिति] तथा एवं समिति, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा (उच्च) विभाग/बायो-2020 की कार्य का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को 2020-2021 पर निर्देश शासन/विभाग के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को 2020/2021/2022/2023 में आयोजित सभी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने वाले डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों/समावेशकों/निर्देशों एवं निर्देशन, प्रारम्भिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाने वाले डिप्लोमा, डिग्री, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ विभागीय एवं कानूनी परामर्श की संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में सफल प्राप्त/प्रारम्भिक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारम्भिक शिक्षा निर्देशन एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई तरह का पत्र लिखा जाता है तथा प्राप्त पत्र के संबंध में सा. प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कबकी आदेश निर्गत किया जाता है तो सफल प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विभागीय एवं कानूनी परामर्श संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित प्राप्त होने से पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त एवं परिषद आयोजित को प्रस्तावित करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आयोजित) के कारण से अथवा सफल प्राप्त पर सीटों (अथवा) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश शासन/विभाग निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सफल सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, सफल, सफल-सफल, उत्तरदायक, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, आयोजित सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-विकास हेतु उपयुक्त परामर्श प्राप्त/प्रदान करने के साथ विभिन्न संस्थाओं के सम्बन्ध में सफल आवश्यक परामर्श सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रारम्भिक/आयोजित परामर्श को बनाने वाले हेतु निर्देशन समिति के सफल परामर्श बनाने वाले प्रारम्भिक, सुनिश्चित, कानूनी, परामर्श सुनिश्चित का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परामर्श के सम्बन्ध में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था प्रारम्भिक का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सफल संस्था की सम्बद्धता सफल करने वाले हेतु अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्य का अनुपालन न करने वाले अथवा कार्य का प्रशासनिक कार्य करने की स्थिति में निर्देशानुसार अनुपालन/प्रकार कार्यवाही की जायेगी।

(2020/2021/2022/2023)
संस्था

पुस्तक- प्रारम्भिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

तारीख: 15-08-2020

संस्था- उत्तराखण्ड/निदेशन, सुनिश्चित इन्स्टीट्यूट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नारनुर, नारनुर, उत्तराखण्ड।

(2020/2021/2022/2023)
संस्था

**Office,
Secretary, Council of Technical Education,
Uttar Pradesh Lucknow.**

No.- Praship/Council Affiliation/2021/3537

Lucknow: Dated: 09/08/2021

:-Office memo:-

All India Council of Technical Education, New Delhi / Pharmacy Council of India, New Delhi for the academic session 2021-22 after the approval of diploma level technical educational institutions for grant of affiliation / affiliation extension to Technical Education Council, Uttar Pradesh Lucknow. On date-08/08/2021, the meeting of the affiliation committee was completed in the council office. In the meeting, the committee decided to grant affiliation/affiliation extension for the session 2021-22, considering other items including affiliation to the new institutions applied for for the session 2021-22 / affiliation extension to the already operating institutions / course / admission capacity increase. Went.

In continuation of the decision taken in the meeting of the affiliation committee, the following institution is given affiliation extension for the course and admission capacity mentioned in it for the session 2021-22 by Technical Education Council, Uttar Pradesh Lucknow under the following conditions:-

Organization Code and Name : 3373-ASIAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNO. VILL- BAGHPUR, KANPUR DEHAT- 208367.

Sl No. #	name of course	Admission Capacity approved by AICTE / PCI for the session 2021-22	Admission capacity approved by the council for the session 2021-22
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

Conditions for Affiliation

- ✓ The institution will fully comply with all the conditions laid down by AICTE / PCI.
- ✓ The institution will comply with the Uttar Pradesh Technical Education Council Act 1962 and Technical Education Council Regulations, 1962, Semester Regulations-2016 and other made rules and orders and the fee prescribed by the Fee Fixation Committee is Rs.30150.00/- per annum for three-year engineering courses, two-year pharmacy courses, For Rs. 45000.00/- per annum and for one- and two-year courses (in addition to two-year pharmacy course), only Rs.-22500.00/- per annum fee will be collected from each student. In addition to the above, the

government orders issued by the government from time to time regarding fees from students will be effective. And action will be required to be taken accordingly. If the fees for the session 2021-22 are rescheduled by the Fee Fixation Committee, then the latest rates of fees will be applicable.

- ✓ The institution has to comply with the conditions of (U.P. Technical Education Committees and Sub-Committees, Associations to be Affiliated) Regulations-2000.
- ✓ Admission will be given only to the students allotted by the Joint Entrance Examination Council in the institution. In case the seats remain vacant, the admission process will be done as per the instructions of the Uttar Pradesh government.
- ✓ The institution will have to pay inspection and affiliation fee as per the mandate issued from time to time.
- ✓ It will be necessary for the institution to get approval from AICTE/PCI for the upcoming session.
- ✓ The institution is to follow the laws/rules/acts/orders/instructions made by the Government of Uttar Pradesh and the rules, regulations, orders, directions made by the Director, Technical Education, Uttar Pradesh, Joint Entrance Examination Council, Uttar Pradesh and Council of Technical Education, Uttar Pradesh. Will be obliged.
- ✓ Institutions of Diploma in Pharmacy course if PCI. If it fails to get approval from New Delhi, then the entire responsibility in this regard will be with the institution and the institution itself will be responsible for any action taken legally. A suit is filed with the Technical Education Council, Joint Entrance Examination Council, Directorate of Technical Education and Technical Education Department, Government of Uttar Pradesh and regarding the suit filed, Mr. If any kind of reimbursement order is issued by the court, then all the reimbursement will have to be done by the concerned institution.
- ✓ Institutions conducting Diploma in Pharmacy courses will have to obtain approval from PCI and make available to the Council office before the start of counseling for the entrance examination conducted by Joint Entrance Examination Council, Uttar Pradesh Lucknow for every year, otherwise they will have to get admission (through counseling). Direct entry from or at the institution level) will not be allowed.
- ✓ It will be necessary to follow the latest reservation rules issued by the Uttar Pradesh government for admission.
- ✓ The institution will have to provide all the information of the institution on its website such as the details of the institution's historical background, staff, furnishings, equipment, fee to be received, hostel fee etc.
- ✓ Along with providing the above environment for teaching-training, the institution will have to ensure all necessary arrangements regarding the prevention of ragging.
- ✓ The institution should ensure that the records, land-building, furniture, equipment, etc., made available before the Inspection Committee for running the proposed / conducted course in the institution, are used by the institution in the conduct of any other course and to the Council, if it is known that the organization is using the above for any other work, then it will be recommended to discontinue the affiliation of the institution immediately.
- ✓ During the site inspection of the institution, if the land, building, laboratory, equipment and other furnishings in the institution are not found available as per the standards of AICTE/PCI/Council, then the association of the organization will be terminated.
- ✓ In case of non-compliance of the affiliation conditions or violation of the conditions, disciplinary action will be taken as per rules.

(Sunil Kumar Sonkar)

4/10/2021

P.No-Praship/Council Affiliation/2021/3538-4809

copy:-

Principal/Director, ASIAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNO, VILL- BAGHPUR, KANPUR DEHAT- 209307,

Secretary

Date: 09/08/2021



(Sunil Kumar Sonkar)

Secretary

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3373-ASIAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई-टी/सी-टी/आई/पी-सी-आई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच-आई-टी/सी-टी/आई/पी-सी-आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समस्त-समय पर निर्मित शासकदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक द्वारिक पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक पर्यवेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक पर्यवेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासकदेशों से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासकदेश प्रत्यक्ष होंगे, और उपर्युक्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा वरि सत्र 2022-23 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासकदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधिविधौ-अधिविधौ-शासकदेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बन्धने गये किल्ली, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सबसे उत्तरदायी संस्था का हीरा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा उत्तर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक इका प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु अप्रॉबित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत पठनीय प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु स्वयं-समाय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अधिक्षण हेतु उपयुक्त काठवाण उपलब्ध करने के साथ रेडिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के जोरक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसूचकसमक कार्यवाही की जाएगी।



(दफ्त०आर० खान)

सचिव

फ़ोन- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिरूपि-

प्रधान कार्यनिदेशक, ASIAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



(दफ्त०आर० खान)

सचिव